



भारत - INDIA
5 RUPEES
1 RUPEE

Handwritten notes in Hindi, including "10" and "100".

Handwritten notes in Hindi, including "12/07/2010" and "2010".

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 856-1/19 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-7-14	<p>आवेदक आदि. कैलाश जोशी तथा अना. मीरजेतकर श्री कै.सी.बल्लल उपस्थित। प्रकरण में उद्यमपक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील तर्क श्रवण किये गये।</p> <p>2- उद्यमपक्ष आदिबन्दाओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अनिवार्यता का अल्लोकन किया गया। आयुक्त उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-3-10 से आवेदक को अपील अवधि बाध्य मानकर अग्रगृह्य की गई है। आवेदक आदिबन्दा द्वारा अवगत कराया गया कि आयुक्त न्यायालय में मात्र 3 दिन के विलम्ब से अपील पेश की गई थी तथा विलम्ब का समुचित कारण भी उनके द्वारा धारा-5 के आवेदन में दर्शाया गया था जो कि पुष्टि में उन्होंने चिकित्सीय प्रमाणपत्र को छायाप्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत की।</p> <p>3- आवेदक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय प्रमाण पत्र को देखते हुए यह विचारणीय स्वीकार की जाती है। आवेदक को आयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायालय में प्रस्तुत अपील समयावधि में मान्य की जाती है। प्रकरण में आयुक्त उच्च न्यायालय को आवेदक को अपील समयावधि में ग्रहण करते हुए नियमानुसार गुण दोष पर निराकरण करने के निर्देश दिये जाते हैं।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय इ.द.ग</p>	